डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 62 ● अंक 6 ● भोपाल ● 16-31 अगस्त, 2018 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/– ● आजीवन शुल्क 1500/–

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रखा समृद्ध मध्यप्रदेश का विज़न

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को रोडमैप तैयार करने के दिये निर्देश

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील और फिर विकसित राज्य बनाने के बाद अब समृद्ध राज्य बनाएंगे। उन्होंने यहां मंत्रालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समृद्ध मध्यप्रदेश का विज़न साझा किया।

श्री चौहान ने विकास के सभी प्रमुख क्षेत्रों में समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क और अधोसंरचना निर्माण जैसे बुनियादी क्षेत्रों का रोडमेप पहले ही तैयार है और इन क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई है। कृषि क्षेत्र में अब उत्पादन की चुनौती लगभग खत्म हो गई है। अब उत्पादन की गुणवत्ता, खाद्य प्र–संस्करण, निर्यात, और दोगुना आय बढ़ाने जैसे विषयों पर ध्यान देना होगा। अब दूसरे देशों को भी कृषि उपज निर्यात करने पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि किसानों को ज्यादा फायदा हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोज़गार सृजन एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण काम है। जितनी संख्या में युवा शिक्षित हो रहे हैं उसी अनुपात में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन्हें रोज़गार के अवसर मिलना चाहिए। रोज़गार अवसरों के सृजन के लिए रचनात्मक तरीके से सोचना होगा। संबल योजना के संबंध में अपना विजन बताते करते हुए श्री चौहान ने कहा कि संसाधनों पर गरीबों का अधिकार है और उन्हें मिलना चाहिये। यह सबकी साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्व–सहायता समूहों को बढ़ावा देकर गरीबी पर नियंत्रण किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि अब तक मध्यप्रदेश के निर्माण में जो हुआ है वह अभूतपूर्व है और इसके अच्छे परिणाम सामने हैं। अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने का सपना साकार करना है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी प्रतिभा और अनुभव का उपयोग करते हुए समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने का रोडमैप बनाये। सिर्फ अपने विभाग की योजनाओं तक सीमित न रहें। एक सम्पूर्ण सोच प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी कहा कि विभागीय बजट पर निर्भर रहकर काम करने की पारंपरिक सोच को छोड़कर रचनात्मक प्रयासों से आय के अतिरिक्त स्त्रोत और संसाधन निर्मित कर आगे बढ़ें। बजट से ज्यादा रचनात्मक दृष्टि और प्रतिबद्धता काम करती है।

बैठक में वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, मुख्य सचिव श्री बी. पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव और सभी विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।

राज्य मंत्री श्री सारंग के निर्देशन में पांच वर्षीय सहकारिता कार्य योजना तैयार

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने यहाँ समन्वय भवन सभागार में सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक में अगले 5 वर्षों की विभागीय कार्य–योजना को अंतिम रूप दिया। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सहकारिता विभाग की बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता, सहकारिता आयुक्त श्री केदार शर्मा, एम.डी. अपेक्स बैंक श्री आर.के. शर्मा और शीर्ष संस्थाओं के प्रबंध संचालक तथा मुख्यालय के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

श्री सारंग ने कहा कि सहकारी समितियों (पैक्स) को सशक्त बनायें। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक और सहकारी समितियों को एकल खिड़की प्रणाली के रूप में प्रभावी बनाऐं। पैक्स को कमर्शियल बैंक की तरह बनायें। उन्होंने कहा कि पैक्स में सभी प्रकार के बैंकिंग प्रॉडक्ट उपलब्ध करवाने के लिए सहकारी संस्थाओं को चयनित कर वहाँ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगले महीने से लागू करें।

राज्य मंत्री ने कहा कि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाये। आई. आई.एम. जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं से एडवान्स कोर्स भी करवायें। उन्होंने सहकारी संघ को अलग–अलग केडर के अनुसार ट्रेनिंग माड्यूल तैयार करने के निर्देश दिये। बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग ने सहकारिता विभाग में केडर व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में फसल ऋण वितरण सीमा को 13 हजार से बढ़ाकर वर्ष 2023 तक 25 हजार करोड़ करने और ऋणों के विविधिकरण सहित अन्य कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई।

एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के तत्वावधान में

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जिला भोपाल के सहायकों हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

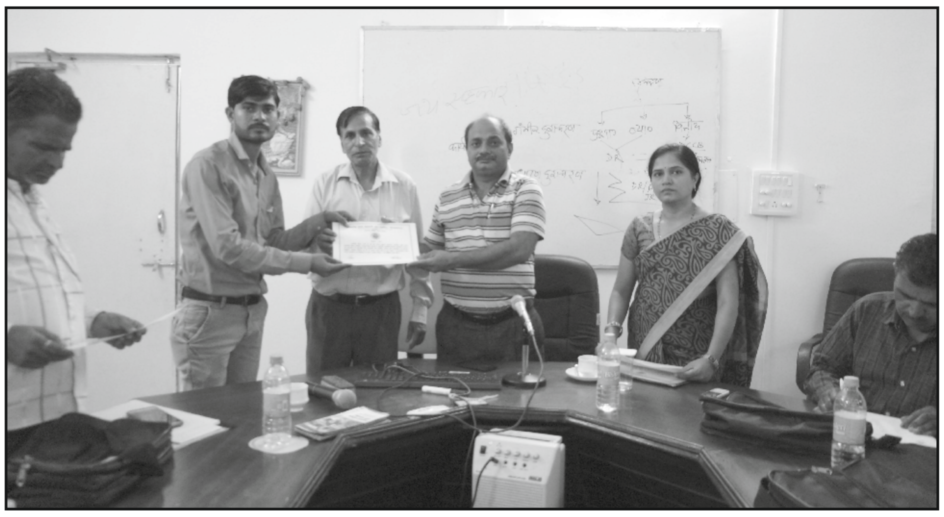

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में दिनांक 02.08.2018 से 04.8. 2018 तक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जिला भोपाल के सहायकों हेतु ''कार्यालयीन प्रबंध, उन्नत तकनीक एवं लेखांकन का ज्ञान, सायबर क्राइम'' विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण अंतर्गत कुल 21 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

प्रशिक्षण का शुभारंभ संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा किया गया। श्री रंजन ने उद्घाटन भाषण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। प्रथम दिन सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त श्री श्रीकुमार जोशी द्वारा सहकारिता अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 की प्रमुख धाराओं की जानकारी एवं पैक्स के संदर्भ में उपयोगी धाराओं पर एवं संघ व्याख्याता श्री अरूण कुमार जोशी द्वारा कार्यालयीन प्रबंध पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।

द्वितीय दिवस में लेखांकन एवं अंकेक्षण विषय पर श्री व्ही.के. मिश्रा प्रशिक्षक एवं व्याख्याता श्रीमती रेखा पिप्पल द्वारा तथा संघ की कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्रीमती मीनाक्षी बान द्वारा सायबर क्राइम, ई कोआपरेटिव्ह पोर्टल पर जानकारी अपलोड करना आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

तृतीय दिवस में संघ के राज्य समन्वयक श्री संतोष येड़े द्वारा म. प्र. शासन की भावांतर योजना पर तथा भोपाल के सहायक आयुक्त (आडिट) श्री दिनेश चौरसिया द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के कर्मचारियों हेतु जारी सेवानियमों से प्रतिभागियों को अवगत कराया। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन संघ के ओ.एस.डी. श्री संजय सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम समन्वयक व्याख्याताद्वय श्री ए.के. जोशी एवं श्रीमती रेखा पिप्पल थे।

आवास संघ में सायबर क्राइम विषय पर कार्यशाला का आयोजन

भोपाल। म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा सायबर क्राईम व उससे सुरक्षा के उपाय तथा कानूनी पहलू पर कार्यशाला का आयोजन दिनांक 08 अगस्त 2018 को म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित भोपाल में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवास संघ के वासुदेव लालवानी एवं सुनिल केलवा, प्रबंधक, परमेश्वरी जी, सहायक प्रबंधक, विनय तिवारी एवं महेश अवस्थी, कार्यकारी इंजीनियर , विशाल सेन, पंकज ठाकरे एवं संजीव कुमार सोलंकी , कम्प्यूटर ऑपरेटर कुल आवास संघ के 39 अधिकारियों/ कर्मचारियों ने भाग लिया। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण में श्रीमती मीनाक्षी बान, कम्प्यूटर प्रशिक्षक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल ने '' सायबर क्राइम ''विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला में अंत में सभी प्रतिभागियों के द्वारा कार्यक्रम के मूल्यांकन पत्रक द्वारा व मौखिक रूप से कार्यक्रम के आयोजन पर अपने–अपने विचार व्यक्त किये गये।

सीहोर में ई-को-ऑपरेटिव पर कार्यशाला

भोपाल। म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सीहोर के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु ''ई–को–ऑपरेटिव''विषय पर दिनांक 27.7.2018 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सीहोर के सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बैंक के 30 अधिकारियों/ कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण में श्रीमती मीनाक्षी बान, कम्प्यूटर प्रशिक्षक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा ''ई–को–आपरेटिव''विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला में अंत में सभी प्रतिभागियों के द्वारा कार्यक्रम के मूल्यांकन पत्रक द्वारा मौखिक रूप से कार्यक्रम के आयोजन पर अपने–अपने विचार व्यक्त किये गये।

केन्द्र से नेफेड की शेष राशि 2624 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने की मांग

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री सिंह से मिले मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह से मुलाकात कर चना, मसूर और सरसों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति देने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोत्तरी से किसानों में अपार प्रसन्नता है, किसान गदगद हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों के हित में लिये गये निर्णय के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और कृषि मंत्री को कोटि–कोटि धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री श्री सिंह को बताया कि प्रदेश में 19.16 लाख मीट्रिक टन चना, मसूर तथा सरसों का उपार्जन नेफेड द्वारा किया गया था। इसकी कुल देय राशि 8562 करोड़ रुपये के विरुद्ध नेफेड द्वारा राज्य सरकार को अभी तक 5938 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। श्री चौहान ने आग्रह किया कि शेष राशि 2624 करोड़ रुपये का भुगतान नेफेड द्वारा राज्य की उपार्जित एजेंसियों को शीघ्र कराया जाये।

श्री चौहान ने कहा कि मूंग की फसल को भावांतर भुगतान योजना में शामिल करने पर लगभग 800 करोड़ रुपये का व्यय होगा। उन्होंने माँग की कि इस योजना में 50–50 प्रतिशत राशि केन्द्र और राज्य सरकार वहन करे। इससे किसानों को योजना का समय पर लाभ मिल सकेगा।

श्री चौहान ने खरीफ 2018 की सोयाबीन, मूंग, अरहर, मूंगफली, तिल आदि के उपार्जन को प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में सितम्बर माह के अन्त तक सोयाबीन, धान, उडद, मक्का की आवक शुरू हो जायेगी, जिसका उपार्जन समय पर किया जाना होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने नेफेड की क्रेडिट लिमिट 16 हजार करोड़ बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। साथ ही खरीदी और भंडारण की व्यवस्था में केन्द्र सरकार से सहयोग माँगा।

नगदी समस्या निवारण के लिये केन्द्रीय वित्त मंत्री का माना आभार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में गत दिनों रही बैंकों में नगदी की समस्या के निराकरण के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। ज्ञातव्य है कि गत दिनों प्रदेश में बैंकों में नगदी की समस्या होने के कारण आम जनता विशेष कर किसानों को बैंकों से पैसा लेने में काफी दिक्कतें आ रही थीं। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल के प्रयासों से प्रदेश के बैंकों इस समस्या का समाधान हो गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि अब बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नगद राशि उपलब्ध है। इससे राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का भुगतान लाभार्थियों तक सरलता से पहुँच रहा है।

सकारात्मक दृष्टिकोण से ही समस्याओं का समाधान संभव-श्री सारंग

भोपाल। सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि सकारात्मक दृष्टिकोण से ही समस्याओं का समाधान संभव है। श्री सारंग यहाँ आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में ट्रेनी डिप्टी कलेक्टर्स के इन्ट्रोडक्ट्री सत्र को संबोधित कर रहे थे।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि अधिकारियों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक संरचना में डिप्टी कलेक्टर्स का पद महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने ट्रेनी ऑफिसर्स से कहा कि उन्हें शासकीय सेवा में रहते हुए जन–कल्याण और विकास कार्य करने के अनेक अवसर मिलेंगे। उन्हें चाहिये कि वे अधिक से अधिक ऐसे अवसरों का जन–कल्याण और विकास के कार्यों को करने के लिये उपयोग करें। श्री सारंग ने कहा कि एक अधिकारी के तौर पर ईमानदार, कर्त्तव्यनिष्ठ और मिलनसार अधिकारी की छवि बनाना चाहिये। जनता और जन–प्रतिनिधियों के बीच अधिकारियों की ऐसी छवि उन्हें अपने दायित्वों के निर्वहन में अधिक मददगार होती है। श्री सारंग ने कहा कि अधिकारियों के कार्य में जन–प्रतिनिधि और जनता से सतत सम्पर्क रहता है। उन्होंने कहा कि दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन करने के लिये जरूरी हैं कि जन–प्रतिनिधियों और जनता से उनका सतत संवाद बना रहे।

इंट्रोडक्टरी सत्र में ट्रेनी डिप्टी कलेक्टर्स द्वारा सेवा के दौरान जन–प्रतिनिधियों और जनता के बीच कार्य करने के संबंध में अनेक प्रकार के सवाल किये। श्री सारंग ने सभी के सवालों का उदाहरण देकर जवाब दिया। श्री सारंग ने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण और अनेक अवसरों पर युक्ति और बुद्धि का सही उपयोग कर मुश्किल से मुश्किल समस्या को भी हल किया जा सकता है। उन्होंने ट्रेनी डिप्टी कलेक्टर्स को प्रदेश के विकास में बेहतर ढंग से कार्य करने की शुभकामनाएँ भी दीं।

सौभाग्य योजना से 30 जिलों में हुए सौ फीसदी बिजली कनेक्शन

भोपाल। मध्यप्रदेश में सफलतापूर्वक क्रियान्वित सहज बिजली हर घर सौभाग्य योजना में अब तक 17 लाख 87 हजार 386 बिजलीविहीन घरों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देकर रौशन किया जा चुका है। योजना में शेष घरों को आगामी अक्टूबर माह तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। प्रदेश में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा सौभाग्य योजना के माध्यम से ऐसे सभी घरों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो वर्षो से रौशनी से वंचित थे। राज्य के 30 जिलों मंदसौर, नीमच, इंदौर, आगर–मालवा, देवास, खण्डवा, उज्जैन, अशोकनगर, हरदा, रतलाम, शाजापुर, झाबुआ, सीहोर, धार, भोपाल, नरसिंहपुर, कटनी, सिवनी, जबलपुर, होशंगाबाद, बुरहानपुर एवं खरगोन, दतिया, उमरिया, सागर, सतना, अलीराजपुर, बड़वनी, बैतूल, बालाघाट में शत–प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर सभी घरों को रौशन किया जा चुका है। अगले कुछ दिनों में 4 और जिले शत–प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा करने वाले हैं। इनमें ग्वालियर 99 प्रतिशत, टीकमगढ़ 97 प्रतिशत, राजगढ़ और मुरैना में 96 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया है।

योजना के क्रियान्वयन में तीनों विद्युत वितरण कंपनी और उनके क्षेत्रीय तथा स्थानीय अभियंता और कार्मिक पूरी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 6 लाख 59 हजार 507 घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 7 लाख 24 हजार 233 घरों को रौशन किया है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली विहीन 4 लाख 03 हजार 646 घरों में रौशनी उपलब्ध करवा गई है।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित (माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)

सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
ई–8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड–462 039
फोन–0755 2725518, 2726160 फैक्स–0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र किला मैंदान, इंदौर
फोन : 0731-241908, 9926451862

कृषि उपज के बेहतर विपणन के लिए किसान उत्पाद समूह को सशक्त बनाना जरूरी

किसान कल्याण मंत्री श्री बिसेन ने प्रशिक्षण अभियान का शुभारंभ किया

भोपाल। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने की चुनौती को सरकार ने पूरा किया है। किसानों की उपज की बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब किसान उत्पाद समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना जरूरी है। श्री बिसेन ने कहा कि इस कार्य में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। किसान कल्याण मंत्री श्री बिसेन यहाँ किसान उत्पाद समूह के प्रशिक्षण अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीना भी मौजूद थे।

किसान कल्याण मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि कृषि उत्पादन के मामले में मध्यप्रदेश ने देश भर में विशिष्ट पहचान बनाई है। कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को लगातार उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए कृषि–कर्मण अवार्ड मिले हैं। कृषि ऋण पर जीरो प्रतिशत दर की चर्चा करते हुए श्री बिसेन ने कहा कि किसानों को ऋण के साथ–साथ राज्य सरकार ने अनेक तरह की सुविधाएँ उपलब्ध करवाई हैं। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई है। किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के वनवासियों की उपज की बेहतर मार्केटिंग के लिए भी प्रभावी व्यवस्था की है। श्री बिसेन ने प्रदेश में किसानों के श्रेष्ठ कृषि उत्पाद समूह को सम्मानित भी किया।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री एस.के बंसल ने बताया कि आज 10 जिलों के किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। ये किसान 31 जुलाई से 31 अगस्त के बीच चयनित जिलों के किसान उत्पाद समूह के 50 हजार किसानों को प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण में देश की प्रतिष्ठित संस्था बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (बी.आई.आर.डी.) द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। श्री बंसल ने बताया कि प्रदेश में 160 किसान उत्पाद समूह काम कर रहे हैं। इसके अलावा 200 नये किसान उत्पाद समूह जल्द ही काम करना शुरू कर देंगे। आने वाले तीन साल में 5 हजार कृषि उत्पाद समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जायेगा। इन समूहों से 5 लाख किसानों को जोड़ा जायेगा। कार्यक्रम का संचालन मुख्य महाप्रबंधक श्री डी.एस चौहान ने किया।

सहकारिता के माध्यम से किया ग्राम की बेटियों का सम्मान

सीहोर। दिनांक 3.8.2018 को जानपुर बाबड़िया में जिला सहकारी संघ मर्यादित, सीहोर द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति तथा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सहयोग से महिला सहकारी संगोष्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उषा सक्सेना, अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सीहोर, अध्यक्षता श्री धरमसिंह वर्मा, अध्यक्ष, जिला सहकारी संघ मर्यादित, सीहोर, श्रीमती सरोज ठाकुर, महामंत्री भाजपा महिला मोर्चा, एवं पूर्व पार्षद सीहोर श्रीमती अरूणा हर्षे सेवानिवृत्त व्याख्याता के विशेष आतिथ्य में कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिथियों द्वारा मॉ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर किया गया। सर्व प्रथम अतिथियों का स्वागत श्री तेजसिंह ठाकुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला संघ श्री अवधनारायण वर्मा प्रशासक प्राथमिक कृषि साख संस्था श्री चॉदसिंह मेवाड़ा पर्यवेक्षक श्री बनवारी लाल शर्मा प्रबंधक प्रा.कृषि संस्था, सुनील कुमार वर्मा सचिव दुग्ध संस्थ श्री सुरेश कुमार वर्मा सरपंच, विष्णु कुमार वर्मा ग्राम पटेल द्वारा पुष्पमालाओं एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। संस्था द्वारा उपस्थित अतिथियों का स्वागत शाल से किया गया।

मुख्य अतिथि श्रीमती सक्सेना द्वारा ग्राम की कक्षा 12 वीं एवं 10 वीं में प्रथम श्रेणी में उतीर्ण होने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया तथा कहा कि बेटियों ने आपके ग्राम का नाम सीहोर जिले में रोशन किया है। कुमारी दिव्या परमार को 85 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा लेपटॉप दिया गया है। सहकारिता हमें एकता, संगठन से रहना, सहयोग की भावना पूर्वक मिलजूलकर कार्य करना सिखाती है।

आपके ग्राम में संचालित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था तथादुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था आपकी अपनी संस्थाऐं है। ये आपके द्वारा संचालित संस्थायें है। आप सदस्य हैं, शेयर होल्डर हैं। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक किसानों का बैंक हैं किसान संस्था तथा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था बैंक की सदस्य है। इस अवसर पर उपस्थित सभी महिलाओं, पुरूषों से अनुरोध किया कि एक–एक पेड़ लगायें तथा उसकी देखभाल करें। श्री धरमसिंह वर्मा द्वारा अध्यक्षता करते हुए कहा कि आज महिलाऐं हवाई जहाज उडा रहीं हैं, रेल चला रहीं है। आप अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा, संस्कार दें, उसकी पढ़ाई में सहयोग करें। हमारे बीच आपके क्षेत्र की श्रीमती उषा सक्सेना, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की अध्यक्ष है। जब भी कोई समस्या हो उन्हें बतलाए, आपकी समस्या हल होगी, पूर्व विधायक क्षेत्र के लाड़ले सहकारिता नेता श्री रमेश सक्सेना आपकी आवाज प्रदेश शासन तक पहुंचायेंगे तथा बड़ी से बड़ी समस्या का हल होगा। अन्त में आभार मुख्य कार्यपालन श्री तेजसिंह ठाकुर द्वारा प्रकट किया गये।

मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना में आवेदन की अंतिम तिथि हुई 31 अगस्त

भोपाल। मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना में किसानों को लाभान्वित करने के लिये आवेदन की अंतिम तिथि को 31 अगस्त, 2018 तक बढ़ा दिया गया है। योजना की अवधि बढ़ाये जाने का आदेश सहकारिता विभाग द्वारा जारी किया गया है।

प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के डिफाल्टर कृषक सदस्यों के बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे के लिये लागू की गई मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना की अवधि 31 जुलाई को समाप्त हो गयी थी। किसानों के लिये अवधि को एक माह और बढ़ाया गया है

कविता

सहकारिता और लोकतंत्र

लोग मानते हैं
सभी जानते हैं, कि
जनता का, जनता के लिये
जनता के द्वारा
चलाये जाने वाले
शासन को लोकतंत्र कहते हैं,
जिसमें, सभी नागरिक
अधिकार पूर्वक प्रसन्नता से रहते हैं।
लिंकन ने,
इसी प्रकार दी थी
लोकतंत्र की परिभाषा
जिसमें थी सर्वकल्याण की
एक ऐसी अभिलाषा, कि
जब जनता स्वयं अपनी
सरकार चलाएगी
तभी सर्वत्र खुशहाली आएगी
जिससे उत्पन्न होगी
एक सबके लिये और
सब एक के लिये की भावना
और, ऐसी ही स्थिति में
पूरित होगी
परस्पर सहयोग की कामना।
ठीक इसी प्रकार
सहकारी संस्था में भी
लोकतंत्र अपनाया जाता है
और सदस्य ही संस्था के
असली मालिक होते हैं
यह गीत गाया जाता है ।
सहकारिता में भी, संस्था के सदस्य
संचालक पद के निर्वाचन हेतु
फार्म भरते हैं, चुनाव लड़ते हैं,
संस्था सदस्यों से
एक सदस्य, एक मत के
आधार पर
मतदान कराती है फिर
जो जीतते है, उनका
संचालक मंडल बनाती है।
यही संचालक मंडल
संस्था के लिये करता है
सफल नेतृत्व प्रदान
सार्थक नीति निर्माण।
नेतृत्व और नीति से ही
संस्था का बढ़ता है आकार
और मानवीय कल्याण का
होता है स्वप्न साकार
तो, लोकतंत्र
किसी देश या प्रदेश की
सरकार का ही नहीं, वरन
सहकारिता का भी
एक सिद्धांत है।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था
जिसके बल पर
संस्था आगे बढ़ती है
और प्रगति के
नए सोपान गढ़ती है।

यशोवर्धन पाठक
प्राचार्य
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
हनुमानताल, जबलपुर (म0प्र0)

कृषि उपज की लागत में 50 प्रतिशत लाभांश जोड़कर तय होगा समर्थन मूल्य

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा पिछोर में 2208 करोड़ की सिंचाई परियोजना का शिलान्यास

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील मुख्यालय पर 2208 करोड़ की लागत की वृहद सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करते हुए कहा कि आगामी दिनों में राज्य सरकार कृषि उपज की लागत में 50 प्रतिशत लाभांश जोड़कर समर्थन मूल्य निर्धारित करेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह निर्धारित समर्थन मूल्य पर ही किसान की फसल की खरीदी प्रदेश सरकार करेगी। श्री चौहान ने इस अवसर पर मगरौनी कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वृहद सिंचाई परियोजना से खनियाधाना और पिछोर क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में पेयजल व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा 40 लाख हेक्टेयर तक पहुँचा दिया गया है। अब राज्य सरकार का लक्ष्य इसे 80 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाने का है। मुख्यमंत्री ने शिलान्यास समारोह में उपस्थित जन–समुदाय को संबल योजना सहित महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित–लाभ भी वितरित किये।

जनसम्पर्क, जल–संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने बताया कि परियोजना की पूर्ण जल–ग्रहण क्षमता 371.80 मैट्रिक घनमीटर होगी और जल–ग्रहण क्षेत्र 1843 वर्ग किलोमीटर रहेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना से पिछोर विधानसभा क्षेत्र के 208 ग्रामों में एक लाख 67 हजार एकड़, शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में 11 ग्रामों की 7 हजार एकड़, करैरा विधानसभा क्षेत्र में 87 ग्रामों की 67 हजार एकड़ और दतिया विधानसभा क्षेत्र में 37 ग्रामों की 32 हजार एकड़ कृषि भूमि में सिंचाई होगी।

मुख्यमंत्री ने शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता कर रहे पूर्व राजस्व मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता को शॉल–श्रीफल से सम्मानित किया। उन्होंने पिछोर की कु. आशिया खान को बेडमिंटन नेशनल प्रतियोगिता में स्वर्ण–पदक हासिल करने पर सम्मानित किया। अपर मुख्य सचिव जल–संसाधन श्री आर.एस. जुलानिया ने परियोजना की जानकारी दी। समारोह में विधायक श्री प्रहलाद भारती, अन्य जन– प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

राज्यमंत्री श्री सारंग ने किया पौधरोपण

भोपाल। सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने रचना टॉवर के पास रचना नगर में पौधे लगाये। कार्यक्रम सुभाष नगर व्यापारी संघ द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर स्थानीय जन–प्रतिनिधि, व्यापारी संघ के पदाधिकारी, स्थानीय नागरिक मौजूद थे।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

खरगोन। ऐसे माता–पिता जिनकी संतान केवल कन्या ही है, उनके लिए मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना संचालित की जा रही है। ऐसे माता–पिता को कन्या के विवाह उपरांत वृद्धावस्था में अकेला रहना पड़ता है। राज्य सरकार ने ऐसे दंपत्ति जिसमें पति–पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो एवं जिनकी जीवित संतान केवल कन्याएं हैं (जीवित पुत्र नही हैं) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही आयकर दाता नहीं होना चाहिए। योजना के तहत ऐसे दंपत्ति को प्रति माह 500 रूपए पेंशन दी जाती है।

महीने के प्रथम मंगलवार को मनेगा राजस्व दिवस

भोपाल। राज्य शासन द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को राजस्व दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों को समय–सीमा में पूरा करने और नागरिकों को समय पर सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने जानकारी दी हैं कि प्रदेश में सभी राजस्व न्यायालयों में एक वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की सूची तैयार कर आपसी सहमति से निराकृत करने के प्रयास किये जायेंगे। यदि आपसी सहमति से निराकृत नहीं हो पाते हैं, तो 10 दिन में तिथि निर्धारित कर गुण–दोष के आधार पर प्रकरण निराकृत करने के निर्देश दिये गये हैं। इसका उद्देश्य एक वर्ष से अधिक समय के सभी प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करना है। नामांतरण, बँटवारा और सीमांकन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा राजस्व दिवस में की जायेगी। जिन प्रकरणों में स्थल निरीक्षण जरूरी है, उनमें तिथि निर्धारित कर शीघ्र निरीक्षण करवाया जायेगा। राजस्व दिवस पर एक माह से अधिक की समयावधि से लंबित प्रत्येक प्रकरण का संक्षिप्त प्रतिवेदन लिया जायेगा। त्वरित निराकरण वाले राजस्व मामले जैसे आदेशों की प्रविष्टि पोर्टल पर करना, खसरा/नक्शा/राजस्व प्रकरण की नकल देना, ऋण पुस्तिका प्रदान की जाना, प्रमाण–पत्र बनाया जाना आदि प्रकरणों का निराकरण राजस्व दिवस के दिन ही करें। पीठासीन अधिकारियों द्वारा विगत माह में राजस्व प्रकरणों में पारित आदेशों के अमल की समीक्षा की जायेगी।

प्रत्येक राजस्व दिवस पर सभी पीठासीन अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सी.एम. हेल्पलाइन के 5 प्रकरण, जिनमें आवेदक द्वारा असंतुष्टि दर्ज कराई गई है, की व्यक्तिगत सुनवाई करेंगे। कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि राजस्व दिवस पर सभी पीठासीन अधिकारियों एवं अधीनस्थ राजस्व अमले को अन्य सभी कार्यों से मुक्त रखा जाये। राजस्व दिवस पर सभी राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी बस्ता सहित तहसील मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे।

राजस्व दिवस की प्राथमिकताएँ एवं लक्ष्य

- तहसील/अनुविभाग अंतर्गत विगत माह की राजस्व विभाग संबंधी समस्याओं का निराकरण।
- निराकरण संभव होने के बाद भी लंबित रहने वाले प्रकरणों का चिन्हांकन।
- एक माह से अधिक लंबित सामान्य प्रकरणों का निराकरण।
- सी.एम. हेल्पलाइन में लंबित एवं असंतुष्टि वाले प्रकरणों में शिकायतकर्ता से समक्ष में चर्चा कर समाधान करना।
- राजस्व दिवस पर प्राप्त आवेदन–पत्रों का निराकरण करना
- राजस्व विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी देना।
- राजस्व संबंधी कार्यों में विश्वसनीयता और गुणवत्ता बढ़ाना।

किसानों की सुविधा के लिए एमपी किसान एप

इंदौर। किसानों की सुविधा के लिए एमपी किसान एप शुरू किया गया है। इस मोबाईल एप से किसान अपनी भूमि की जानकारी, खसरा, खतौनी एवं नक्शे की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बोई गई फसलों की स्वघोषणा, शासन द्वारा समय–समय पर जारी सलाह आदि तथा आधार नम्बर द्वारा खाता नम्बर भी लिंक कर सकते हैं। इस एप्प को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजस्व अभिलेखों में फसल दर्ज कराने के लिए कोई भी भूमिस्वामी स्व–घोषणा द्वारा अपनी भूमि पर उगाई गई फसलों की प्रविष्टि करा सकता है। भूमि स्वामी द्वारा यह स्वघोषणा आयुक्त भू–अभिलेख द्वारा इस उद्देश्य के लिए विकसित किए गए एप्प, साफ्टवेयर या अधिकृत कॉल सेंटर या निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन जमा कर की जा सकती है। यह प्रावधान खरीफ–2018 से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

प्रदेश में 25 सितम्बर से आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन-मुख्य सचिव

योजना से जोड़े जाएंगे एक करोड़ 40 लाख परिवार

भोपाल। मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि आगामी 25 सितम्बर से आयुष्मान भारत योजना को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। दो अक्टूबर से योजना पूरी तरह, पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। श्री सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में विभागीय अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव की बैठक में योजना के क्रियान्वयन के बारे विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना से प्रदेश के लगभग एक करोड़ 40 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में 5 लाख रूपये तक केशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी। यह सेवा शासकीय और चिन्हित अस्पतालों में रहेगी। योजना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजो में ही लागू होगी।

मुख्य सचिव श्री सिंह ने बताया कि योजना में 1350 पैकेज और 23 स्पेशलिटी सम्मिलित है। योजना के क्रियान्वयन के लिये दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद का गठन किया जाएगा, जो स्टेट हेल्थ एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला क्रियान्वयन इकाइयों का गठन किया गया है, जिसके नोडल अधिकारी जिला मलेरिया अधिकारी होंगे। चिकित्सालयों में आयुष्मान मित्र उपलब्ध होंगे।

बैठक में योजना के क्रियान्वयन के लिये तकनीकी पहलुओं अस्पतालों के इम्पैनलमेंट, जिला इकाइयों और आयुष्मान मित्र के प्रशिक्षण और योजना के प्रतीक-चिन्ह पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं जल-संसाधन श्री आर.एस. जुलानिया, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती गौरी सिंह, प्रमुख सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्रीमती नीलम शमी राव तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ऋण पुस्तिका एवं सिकमी में एक समान नाम दर्ज होना अनिवार्य

भोपाल। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु किसानों के पंजीयन हेतु कास्तकार का पंजीयन में नाम उसके आधार कार्ड, बैंक अकाउन्ट, समग्र आई. डी. ऋण पुस्तिका एवं सिकमी या खोट नामे में एक समान नाम दर्ज होना अनिवार्य है। भूमि के खोट नामे का नया प्रारूप नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। जिसमें कास्तकार एवं भूस्वामी के स्पष्ट विवरण आधार आदि की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है साथ ही प्रत्येक किसान को स्वयं पंजीयन केन्द्र पर उपस्थित होकर पंजीयन कराने के लिये अपने मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी पंजीयन केन्द्र के ऑपरेटर को प्रदाय करना होगा। साथ ही अपने आधार सत्यापन हेतु आधार प्रमाणीकरण उपकरण पर अपनी उंगलियों को रखकर सत्यापन करवाना होगा, तत्पश्चात ही पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। एक मोबाइल नम्बर पर केवल एक ही पंजीयन किया जा सकता है। पंजीयन में कोई खसरे से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है या भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी में कोई विसंगति होती है तो संबंधित तहसीलदार के कार्यालय में 25 अगस्त तक सम्पर्क कर संशोधन करवाया जा सकता है। प्रत्येक किसान का राष्ट्रीयकृत बैंक एवं जिला सहकारी बैंक दोनों बैंक का एकल खाता दर्ज करवाना अनिवार्य है। ज्वाइंट एकाउन्ट की प्रविष्टि नहीं हो पायेगी। पंजीयन की प्रक्रिया प्रत्येक कास्तकार को नवीन प्रक्रिया अनुसार ही पूर्ण करवाना होगा। पुराने पंजीयन की वैद्यता समाप्त हो गयी है।

अध्यापक संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में हुआ संविलियन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में नोटिफिकेशन प्रकाशित

भोपाल। प्रदेश के 224 सामुदायिक विकासखण्डों में स्कूल शिक्षा विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत अध्यापक संवर्ग की सेवाओं का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 30 जुलाई, 2018 को कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग और मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग के अधीन काम करने वाले अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग की सेवा में संविलियन किया जाना था। इसके अनुरूप ही 29 मई, 2018 को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था।

प्रदेश के 224 सामुदायिक विकासखण्डों में विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक का शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। इनकी नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) शर्त एवं भर्ती नियम-2018 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर की जायेगी।

नवगठित प्रकाशित नियम के प्रभावशील होने से अध्यापक संवर्ग में कार्यरत अध्यापक संवर्ग का अमला स्थानीय निकाय से स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत हो जायेगा। उक्त अमले को एक जुलाई, 2018 के नियमानुसार सातवें वेतनमान के लाभ के साथ-साथ समरूप शासकीय सेवकों के समान अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे।

समाधान एक दिन स्कीम से 6.65 लाख आवेदक लाभान्वित

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में समाधान एक दिन में स्कीम की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाये। तत्परता के साथ नागरिकों को लोक सेवाएं प्रदाय की जायें।

प्रदेश में 47 नये राजस्व उपखण्ड गठित

भोपाल। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 47 नये राजस्व उपखण्ड गठित किये गये हैं। नव-गठित उपखण्डों के लिये पद भी स्वीकृत कर दिये गये हैं।

जिला ग्वालियर में भितरवार, घाटीगाँव, गुना में आरोन, अशोक नगर में ईसागढ़, विदिशा में नटेरन, ग्यारसपुर, सीहोर में नसरुल्लागंज, इछावर, राजगढ़ में सारंगपुर, खिलचीपुर-जीरापुर, ब्यावरा, आगर-मालवा में सुसनेर, खरगोन में भीकनगाँव, खण्डवा में पंधाना, बड़वानी में राजपुर, अलीराजपुर में चन्द्रशेखर आजाद नगर, सोंडवा, धार में बदनावर, सरदारपुर, होशंगाबाद में इटारसी, पिपरिया, सिवनी मालवा, हरदा में खिरकिया, टिमरनी, बैतूल में शाहपुर, सागर में केसली, मालथौन, पन्ना में शाहनगर, गुन्नौर, छतरपुर में बड़ा मलेहरा, कटनी में बहोरीबंद, नरसिंहपुर में गोटेगाँव, सिवनी में कुरई, बरघाट, बालाघाट में लांजी, रीवा में हनुमना, मनगवां, सीधी में मझौली, सिंहावल, सतना में उचेहरा, सिंगरौली में चितरंगी, माड़ा, शहडोल में जैतपुर, जयसिंहनगर, उमरिया में मानपुर, पाली और जबलपुर में कुण्डम उपखण्ड स्वीकृत किये गये हैं।

स्व-निर्माण योजना में आवास के लिए हितग्राहियों को दिये 868 करोड़

भोपाल। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत लाभार्थी आधारित स्व-निर्माण (BLC) योजना में 3 लाख 47 हजार से अधिक हितग्राहियों को 868 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इनमें से 92 हजार से अधिक हितग्राहियों द्वारा आवास पूर्ण कर लिए गये हैं।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने बताया कि लाभार्थी आधारित स्व-निर्माण योजना में नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे हितग्राही, जिनके पास आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है अथवा कच्चा आवास उपलब्ध है, उन्हें पक्का बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये की नगद राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस घटक में आवास का निर्माण हितग्राही द्वारा किया जाता है। अभी तक 372 नगरीय निकाय में 3 लाख 47 हजार 272 हितग्राही को 2.5 लाख के मान से 868 करोड़ 17 लाख रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के लिए आवास गारंटी अधिनियम 2017 लागू किया है। अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को आवास अथवा भूखण्ड उपलब्ध करवाने की गारंटी प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 2150 युवाओं को स्व-रोजगार के लिए दी सहायता

बुधनी में सम्पन्न हुआ राज्य–स्तरीय रोजगार, स्व–रोजगार हितग्राही सम्मेलन

भोपाल। प्रदेश के युवाओं के लिए चार अगस्त का दिन उपहारों से भरा दिन रहा, जब 2 लाख 84 हजार से ज्यादा युवाओं का अपना रोज़गार स्थापित करने का सपना पूरा हुआ। सीहोर जिले के बुधनी तहसील मुख्यालय में राज्य स्तरीय रोज़गार, स्व–रोजगार हितग्राही सम्मेलन में 2150 युवाओं ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों लोन स्वीकृति एवं रोज़गार के आशय–पत्र प्राप्त किये। मुख्यमंत्री ने अन्य योजनाओं के 13 हजार 600 हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे ऐसे मदारी हैं, जिनके डमरु बजाते ही बड़े–बड़े बिजली के बिल शून्य हो जाते हैं। वे ऐसे मदारी हैं, जो बच्चों की फीस भरते हैं और मध्यप्रदेश को बदलने के लिये संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गरीबी दूर करने का काम किया है। प्रदेश को बीमारु राज्य के कलंक से मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि आज मध्यप्रदेश विकसित राज्य बन गया है। अब इसे समृद्ध राज्य बनाने में कोई प्रयास अधूरे नहीं छोड़ेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 7.50 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इनमें से दो लाख 60 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। प्रदेश में अब गरीबी नहीं रहेगी। अगले 4 साल में गरीब झोपड़ी में नही, पक्के घरों में रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि रोजगार देने की नई योजनाएँ बनाई गई हैं। केवल 2 महीने के भीतर प्रदेश में 2 लाख 52 हजार 122 लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिले हैं। बच्चों को विदेशों में नौकरी करने के अवसर भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने का अभियान जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने पूर्व शासन के दौरान मध्यप्रदेश में बिजली, सड़क, पानी, रोजगार और शिक्षा की स्थिति पर दुरूख करते हुए कहा कि आज किसी भी शिक्षक को 40 हजार रुपये महीने से कम वेतन नहीं मिल रहा है। किसानों और मजदूरों के बेटे–बेटियों को अब पढ़ाई के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी फीस प्रदेश सरकार भरवा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को खूब पढ़ाएँ और आगे बढ़ाएँ। पैसों की चिंता न करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर दिये जा रहे हैं। शिक्षकों, पुलिसकर्मियों की भर्ती, एएनएम और डॉक्टरों, नायब तहसीलदार, पटवारियों और आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती जल्दी ही होने वाली है। बेटियों को इन नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा, स्व–रोजगार के क्षेत्र में भी पर्याप्त अवसर निर्मित किए गए हैं। युवाओं को स्व–रोजगार के लिए पूरी मदद दी जा रही है। उद्यमी युवाओं के बैंक लोन की गारंटी लेने और ब्याज अनुदान देने जैसी अनुकरणीय पहल की गई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के स्व– सहायता समूहों को हरसंभव सहायता देकर आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल उन्हें शालाओं के गणवेश बनाने और पोषण आहार तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब उन्हें 5 करोड़ के बैंक लोन पर गारंटी दी जाएगी और इस पर लगने वाले ब्याज की 3 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में सरकार देगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों की जिंदगी बदलना है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि प्रदेश से गरीबी हटाने में सरकार का हाथ बँटाये, सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं में सीहोर जिले के हितग्राहियों को 84 करोड़ रूपये के हित लाभ का वितरण किया। उन्होंने बुधनी में ई–अस्पताल पोर्टल का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 10 करोड़ 40 लाख लागत के विकास कार्यों का भूमि–पूजन और लोकार्पण किया।

हर गाँव में पहुँचेगा कौशल रथ

केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री श्री अनंत कुमार हेगड़े ने राज्य सरकार के रोजगार निर्माण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में युवाओं को रोजगार देने का मिशन पूरा हो रहा है। युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। आज लाखों युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं।

श्री हेगड़े ने कहा कि केन्द्र सरकार का सपना है कि सभी नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलें। युवाओं को कौशल संबंधी मार्गदर्शन देने और उन्हें कौशल मिशन से जोड़ने के लिये कौशल रथ तैयार किया गया है, जो मध्यप्रदेश के हर गाँव में पहुँचेगा। इस रथ के माध्यम से युवाओं को मार्गदर्शन दिया जायेगा कि वे पढ़ाई के बाद किस दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर युवाओं के लिये रोजगार निर्माण का काम कर रहे हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हर गाँव से उद्यमी तैयार होना चाहिये।

इस अवसर पर अखिल भारतीय किरार महासभा की अध्यक्षा श्रीमती साधना सिंह चौहान, सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री रमाकांत भार्गव, मध्यप्रदेश रोज़गार बोर्ड के अध्यक्ष श्री हेमंत देशमुख, वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री गुरु प्रसाद शर्मा, ज़िला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला बरेठा और बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान को सौंपे गये नगरीय विकास के राष्ट्रीय पुरस्कार

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने मध्यप्रदेश को नगरीय विकास में नवाचारों के लिये मिले राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपे। ये पुरस्कार विगत 27–28 जुलाई को लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय नगरीय विकास कार्यशाला में मध्यप्रदेश को भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गये हैं। इस अवसर पर महापौर श्री आलोक शर्मा, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री विवेक अग्रवाल, भोपाल निगमायुक्त श्री अविनाश लवानिया, मुख्य कार्यपालन

अधिकारी स्मार्ट सिटी श्री संजय कुमार भी मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि विगत 28 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इन्टीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेन्टर के लिये भोपाल के महापौर श्री आलोक शर्मा और अमृत योजना में बॉड जारी करने के नवाचार के लिये इंदौर महापौर श्रीमती मालिनी लक्ष्मण गौड़ को राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया था।

श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर

इंदौर। प्रदेश में बीड़ी, चूना पत्थर और डोलामाइट, लौह–मैगनीज, अयस्क खदान में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों से शैक्षणिक वर्ष 2018–19 के लिए "शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना" में गणवेश तथा छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कक्षा एक से 10 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2018 निर्धारित की गई है। कक्षा 11वीं से आगे तक अध्ययनरत छात्र–छात्राएँ 31 अक्टूबर 2018 तक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र छात्र–छात्राएँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल http://scholarships-gov-in/helpdesk-nsp/gov-in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर ही आवेदन करने एवं पात्रता की जानकारी उपलब्ध है।

आदिवासी समाज के विकास पर खर्च की जायेगी बजट की 24 प्रतिशत राशि

हर वर्ष मनाया जायेगा आदिवासी दिवस रू आदिवासी नायकों की प्रतिमाएँ स्थापित की जायेंगी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने धार में आयोजित राज्य–स्तरीय समारोह में कहा कि आदिवासियों का सम्मान कम नहीं होने दूँगा। आदिवासी नायकों की प्रतिमाएँ स्थापित की जायेंगी। प्रदेश में हर वर्ष आदिवासी दिवस मनाया जायेगा। आदिवासी समाज के विकास पर बजट की 24 प्रतिशत राशि खर्च की जायेगी। आदिवासी क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को आजादी दिलाने में आदिवासी समाज के नायकों बिरसा मुण्डा, टंटया भील, भीमा नायक, खाजया नायक, राणा पूजा भील, शंकर शाह, रानी दुर्गावती जैसे महानायकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिये अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। इन्हीं की वजह से आज हम स्वतत्र हैं। मैं ऐसे महापुरूषों को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बताया कि वनाधिकार अधिनियम में प्रदेश के 2 लाख 24 हजार वनवासी भाईयों को भू–अधिकार पत्र दिये गये हैं। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को आईआईटी, इंजीनियरिंग, पीएमटी और पीएटी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिये हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब छात्र–छात्राओं की उच्च शिक्षा की फीस भी राज्य सरकार भरेगी, उनके माता–पिता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 136 विशिष्ट आदिवासी आवासी विद्यालयों का केन्द्रीय नवोदय विद्यालय की तर्ज पर उन्नयन करने का आश्वासन दिया।

श्री चौहान ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने आदिवासी समुदाय से आग्रह किया कि खेती की उन्नत तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ायें, खेती को लाभ का धंधा बनाने की कोशिश करें, राज्य सरकार हरसंभव मदद करेगी। श्री चौहान ने आदिवासी क्षेत्र के 500 की आबादी वाले गाँव में साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का आश्वासन दिया। श्री चौहान ने समारोह में शामिल विभिन्न आदिवासी कलाकार दलों को सम्मान निधि स्वरूप 25–25 हजार रूपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज से अपील की कि एकजुट होकर नशामुक्ति के लिये कार्य करें। राज्य सरकार उन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवायेगी। उन्होंने कार्यक्रम के प्रारंभ में आदिवासी जननायक टंटया भील और बिरसा मुण्डा के चित्र पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आईआईटी तथा नीट में चयनित छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति–पत्र प्रदान किये। इसी के साथ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र तथा ऋण राशि के चेक वितरित किये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तेन्दूपत्ता संग्राहक श्रीमती रेशम बाई पति खुमान को चरण पादुका पहनाई और उन्हें वाटर बॉटल तथा साड़ी प्रदाय की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री विक्रम वर्मा, सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर, श्रीमती नीना वर्मा, श्रीमती रंजना बघेल, श्री भंवर सिंह शेखावत, श्री बेल सिंह भूरिया, श्री कालू सिंह ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती मोहन पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष श्री मुकाम सिंह किराड़े, अन्य जन–प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय मौजूद था।

सहकारी हॉस्पिटल का शुभारंभ

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने यहाँ अवधपुरी में प्रदेश के पहले सहकारी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में हॉस्पिटल शुरू कर नवचार किया गया है।

साक्षी सहकारी हॉस्पिटल नाम से शुरू इस हॉस्पिटल में नागरिकों को रियायती दर पर दवाई और विभिन्न प्रकार की जाँचों की सुविधा मिलेगी। दस बिस्तर के इस हॉस्पिटल की ओ.पी.डी. में विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहेंगे। हॉस्पिटल में प्राइवेट डॉक्टर और सेवानिवृत्त शासकीय चिकित्सक भी सेवाएँ दे रहे हैं। हॉस्पिटल को मध्यप्रदेश हेल्थकेयर सहकारी संस्था मार्यादित भोपाल द्वारा संचालित किया जा रहा है।

कुष्ठ रोगियों को सहकारी समितियों के माध्यम से रोज़गार मिलेगा - श्री सारंग

भोपाल। सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कुष्ठ रोगियों की सहकारी समितियाँ बनवाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जायेगा। प्रदेश की सभी 33 कुष्ठ कॉलोनियों में रहने वाले कुष्ठ रोगियों को पट्टे दिये जायेंगे। जहाँ पट्टे दिये जाना संभव नहीं है, वहाँ उन्हें रहने के लिये वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करवाया जायेगा। कोई भी कुष्ठ रोगी बेघर नहीं होगा। श्री सारंग ने कहा कि कुष्ठ रोगी भी समाज का अहम हिस्सा हैं। श्री सारंग सासाकावा–इण्डिया लेप्रोसी फाउण्डेशन द्वारा होटल पलाश में आयोजित इम्पावरमेंट मीट–2018 को संबोधित कर रहे थे।

श्री सारंग ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अगले 10 दिन में कुष्ठ रोगियों से सम्पर्क कर उनकी सहकारी समितियों का गठन करवायें। इसके साथ ही, उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिये भी कार्य शुरू करें। गठित सहकारी समितियों को वित्तीय मदद के साथ संचालन में भी सहयोग करें। श्री सारंग ने लेप्रोसी फाउण्डेशन द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की।

कार्यक्रम में डॉयरेक्टर लेप्रोसी फाउण्डेशन डॉ. विनीता शंकर ने प्रदेश में संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। डॉ. शालिनी सक्सेना ने इम्पावरमेंट मीट के संबंध में जानकारी दी। स्टेट को–ऑर्डिनेटर लेप्रोसी फाउण्डेशन ने कुष्ठ रोगियों के साथ राज्य मंत्री श्री सारंग को माँग–पत्र सौंपा।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा

डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।